निगरानी 756-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

ओमकार पुत्र श्री दरबारीलाल ब्राह्मण,
निवासी राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)
–– आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म0प्र0.)
2. लक्ष्मन पुत्र रामदयाल काछी, निवासी बमीठा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0) –– अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/अ–19(4)/05–06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 एवं 09.04.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, विवादित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 954, 955 रकवा क्रमांक 0.648, 0.069 हैक्टेयर पर अनावेदक क्रमांक 2 का 40–45 वर्षो से उनके पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा था, जिसकी विधिवत जॉच की जाकर म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम सन् 1984 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकारों का पट्टा तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/4/99–2000 पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 28.10.2000 से किया गया था। (तहसील न्यायालय के आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 को समय के प्रभाव से उपरोक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार स्वमेव उत्पन्न हो गये थे और वह विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी हो गया था तथा उसके द्वारा उपरोक्त भूमि का विक्रय खसरा क्रमांक 954 में से रकवा 0.368 हैक्टेयर का विक्रयपत्र आवेदक के हित में दिनांक 19.06.2007 को पंजीबद्ध कराया गया था एवं विवादित भूमि पर कब्जा दिया गया। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा अपना नामान्तरण पंजी क्रमांक 06 पारित आदेश दिनांक 02.08.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 756–एक/2015 जिला छतरपुर

ओमकार विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–3–2019	आवेदक की ओर से उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 99/अ–19(4)/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 26–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 2–5–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 01.3.19	